

प्रेषक,

हरिचन्द्र सेमवाल,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

संस्कृति निदेशालय,

देहरादून।

संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग देहरादून: दिनांक: 21 जून, 2024

विषय:- साप्ताहिक कार्यक्रम "संकल्प" नए उत्तराखण्ड का, सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र सं-4315/सं0नि0उ0/दो-172/2023-24, दिनांक 12.3.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2023-24 में आयोजित विषयगत उत्सव/आयोजन में वहन किये गये व्यय के भुगतान हेतु अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत भुगतान की कार्यवाही सम्भव न होने के दृष्टिगत पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-373/vi-2023-82(16)2021, दिनांक 10.7.2023 में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- संस्कृति निदेशालय के अनुरोध के क्रम में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं- 373/vi-2023-82(16)2021, दिनांक 10.7.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत आयोजन/उत्सव हेतु वहन किये गये व्यय धनराशि रू0 3.00 लाख (तीन लाख मात्र) का भुगतान वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं-57/XXVII(7)/22-36/2010-11, दिनांक 25.03.2022 (उत्तराखण्ड वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन), भाग-2-अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकार-विवरण पत्र-1- आकरिमिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय के क्रम सं-3) (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3- इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश सं- 373/vi-2023-82(16)2021, दिनांक 10.7.2023 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

संलग्नक-यथोक्त।

Signed by Hari Chandra भवदीय,

Semwal

Date: 21-06-2024 12:52:31

(हरिचन्द्र सेमवाल)

सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी देहरादून।
- 3- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।

4- गार्ड फाईल।

(हरिचन्द्र सेमवाल)  
सचिव